Section 22 : Power to make rules

(1) The Central Government may, on the recommendations of the Council, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Central Government may make rules for all or any of the matters which by this Act are required to be, or may be, prescribed or in respect of which provisions are to be or may be made by rules.

(3) The power to make rules conferred by this section shall include the power to give retrospective effect to the rules or any of them from a date not earlier than the date on which the provisions of this Act come into force.

(4) Any rules made under sub-section (1) may provide that a contravention thereof shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees.

धारा 22 : नियम बनाने की शक्ति

(1) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे सभी विषयों या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी जिनका इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाएं या जिनके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने है या किए जा सकेंगे।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत नियमों या उनमें से किसी नियम को उस तारीख से, जो उस तारीख से पूर्वत्तर नहीं है, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होते है, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है।

(4) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों में यह उपबन्ध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन दस हजार रूपए से अनधिक की शास्ति के दायित्वाधीन होगा।